सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष, 1947 (श०)

संख्या - 5 राँची, बुधवार, 7 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

24 दिसम्बर, 2025

संचिका संख्याः-8/आरोप-02/2022 का.7627--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विनोद कुमार नायक, तदेन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय राँची के विरूद्ध समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 241 दिनांक- 10.03.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में उन्हें निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाए जाने की अनुशंसा की गई।

2. आरोप पत्र में श्री नायक के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है :-

(i) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी श्री विनोद कुमार नायक, दिनांक- 18.01.2022 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से अनधिकृत रूप से फरार चल रहे हैं। इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री नायक दिनांक- 21.01.2022 को प्रथम पाली में कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपना स्पष्टीकरण समर्पित किये एवं द्वितीय पाली में पुनः बिना किसी सूचना के अब तक फरार है। कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय द्वारा विशेष दूत के माध्यम से निर्गत पत्र संख्या 63 दिनांक- 27.01.2022 को इनके द्वारा लेने से इंकार किया गया।

(ii) गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय के स्तर से विभिन्न जिला ईकाईयों को राशि आवंटित किये जाने संबंधी संचिका को इनके द्वारा रोक कर रखा गया एवं समीक्षोपरान्त आदेश दिये जाने के बाद भी इनके द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव वरीय पदाधिकारियों के समक्ष उपस्थापित किया गया। फलस्वरूप विभिन्न जिला ईकाइयों एवं मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि तथा स्वयंसेवी गृह रक्षकों के मानदेय का भुगतान लंबित रहा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए इन्होंने ससमय पुनरीक्षित बजट की माँग नहीं की।

(iv) गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर बिना किसी सूचना के ये कार्यालय से अनुपस्थित रहे।

(v) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन अन्तर्गत आवेदन देने हेतु इनके द्वारा सीधे गृह विभाग से पत्राचार किया गया।

(vi) स्पष्टीकरण में वरीय पदाधिकारियों के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक- 2106 दिनांक 31.03.2022 द्वारा श्री नायक से उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में उनसे बचाव-बयान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लेकिन उनका बचाव-बयान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या-3395 दिनांक-31.05.2022 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय आदेश संख्या-3397 दिनांक-31.05.2022 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक- 6373 दिनांक- 10.11.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री विनोद नायक कि विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई किया जाना प्रतिवेदित किया गया।

5. प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश संख्या- 1572 दिनांक- 01.03.2024 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध निम्नांकित शास्ति अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया :-

i. विभागीय संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोपी श्री विनोद कुमार नायक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति-निलम्बित) के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

ii. श्री नायक को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

iii. श्री नायक को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। वे पदस्थापन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री नायक द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक- 19.05.2025 समर्पित किया गया। अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री नायक द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-26 के तहत निर्धारित समयावधि के भीतर अपील समर्पित नहीं किया गया है, न ही निर्धारित समयावधि के भीतर अपील अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने के संबंध में कोई कारण प्रस्तुत किया गया है।

7. अतएव श्री विनोद कुमार नायक, तदेन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय, राँची सम्प्रति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के अपील अभ्यावेदन दिनांक- 19.05.2025 को कालबाधित मानते हुए अस्वीकृत किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 5 - 50